

From,

Director,
Directorate of Environment,
Dr. Bhim Rao Ambedkar Payravaran Parisar,
Vineet khnad-1, Gomti Nagar,
Lucknow.

To,

Mr. Tariq Azam Sheikh,
COO,
M/s Presidency Infra height Pvt Ltd,
GH-F, Jaypee Green Sports City,
SDZ, Sector- 25, YEIDA Area,
G.B.Nagar, U.P.

Ref. No. 2329/Parya/SEAC/2047/2013/AD(H)

Date: 27 December, 2013

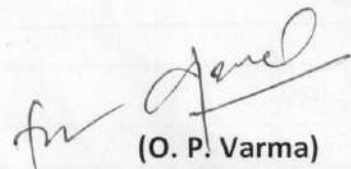
Sub: Environmental Clearance for Proposed Group Housing project at GH-F, Jaypee Green Sports City, SEZ, Sector-25, YEIDA area, GB Nagar, U.P of M/s Presidency Infra height Pvt Ltd- Regarding.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 27-12-2013 addressed to the Director, Directorate of Environment, Lucknow. Through which you have requested that you have not received the Environmental Clearance, issued by the State level Environment Impact Assessment Authority U.P. (SEIAA) to the title project, therefore, in this regard the copy of the same be provided to project proponent for necessary action.

In the above context attested copy of the Prior Environmental Clearance, issued by the SEIAA to the title project vide letter no 1916/Parya/SEAC/2047/2013/AD(H) dated 12/10/2013, is being sent to you for necessary action.

Enclosed - As above.


(O. P. Varma)
Director (I/c), Environment

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:आर-12/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-14(जीएन)

51

दिनांक:फरवरी

24

,2014

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स प्रेजीडेन्सी इन्फ्राहाईट्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0-एफ-2, जी0एच0-एफ, जे0पी0 ग्रीन स्पोर्ट सिटी, एस0डी0जैड सेक्टर-25, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 14-02-2014 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय अपार्टमेंट भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 16-02-2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा किया गया एवं अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी, उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र द्वारा मानचित्रों का अध्ययन कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का प्लॉट एरिया-20,235.00 वर्ग मी0 है।

2- प्रश्नगत भवन का भूतल कवर्ड एरिया-7032.50 वर्ग मी0।

3- बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-16,575.42 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	स्टेयर की संख्या व चौड़ाई मी	ऊँचाई मी0 में
1	टावर-1ए0	बेसमेन्ट+जी/एस+23	356.58	02अदद-1.50/1.50	72.60
2	टावर-1बी	बेसमेन्ट+जी/एस+23	356.58	02अदद-1.50/1.25	72.60
3	टावर-1सी	बेसमेन्ट+जी/एस+23	356.58	02अदद-1.50/1.50	72.60
4	टावर-1डी	बेसमेन्ट+जी/एस+23	356.58	02अदद-1.50/1.25	72.60
5	टावर-1ई	बेसमेन्ट+जी/एस+23	356.58	02अदद-1.50/1.50	72.60
6	टावर-1एफ	बेसमेन्ट+जी/एस+23	356.58	02अदद-1.50/1.25	72.60
7	टावर-2	बेसमेन्ट+जी/एस+28	461.08	02अदद-1.50/1.25	87.60
8	कम्यूनिटी	बेसमेन्ट+भूतल एवं प्रथम	575.00/480.00	02अदद-1.50/1.50	08.00
9	शॉप्स	बेसमेन्ट+भूतल एवं प्रथम	300/300	01अदद-1.50	08.00

भवन का अधिभाग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभाग बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 30 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड की चौड़ाई 30 मी0 है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
लखनऊ

डी0-पा शर्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई तालिका के अनुसार प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्नि शमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन मे 3,00,000 लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक प्रश्नोत्तरी मे प्राविधानित होना अंकित किया गया है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2-पम्पस:-प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।

3-टेरिस टैंक:-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

4-होजरील:-प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

5-वेटराइजर:-प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

6-यार्ड हाईड्रेण्टस:-प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम की रिंग लाइन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार वाँछनीय है।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवनों मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वाँछनीय है।

8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

9-मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

10-प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यू शर):- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यू शर आई0एस0- 2190 के अनुसार वाँछनीय है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

12-हैलीपैड:- प्रश्नगत भवन मे 60 मीटर से अधिक ऊँचाई के टावरों मे हैलीपैड की व्यवस्था एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

15-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वाँछनीय है।

16-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्नि शमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वाँछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्नि शमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्नि शमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वाँछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्नि शमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।


संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ.प्र., लखनऊ

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स प्रेजीडेन्सी इन्फ्राहाईट्स प्रा० लि०, द्वारा प्लॉट न०-एफ-2, जी०एच०-एफ, जे०पी० ग्रीन स्पोर्ट सिटी, एस०डी०जैड सेक्टर-25, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी०के०राव)
संयुक्त उपनिदेशक, फायर सर्विस
फायर स० प्र० लखनऊ
पु० प्र० लखनऊ

प्रतिलिपि: 1- उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2- मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- अग्नि शमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- मैसर्स प्रेजीडेन्सी इन्फ्राहाईट्स प्रा० लि०, प्लॉट न०-एफ-2, जी०एच०-एफ, जे०पी० ग्रीन स्पोर्ट सिटी, एस०डी०जैड सेक्टर -25, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।

मैसर्स प्रेसीडेन्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा० लि० पता-2201 द्वितीय फ्लोर एक्सप्रेसवे टेड टावर-02(ई०टी०टी०-2) सैक्टर-132 नोएडा। द्वारा प्लॉट सं०-जी०एच०-एफ-जे०पी० ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी एस०डी०-7 सैक्टर-25 यमुना एक्सप्रेसवे इन्डस्ट्रियल ऐरिया ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में उपखनिज की निकासी के लिए अनुमति-पत्र देने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया है। आवेदक द्वारा 16576 वर्गमीटर बेसमेन्ट का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल गहराई 2.20 मीटर है, सम्भावित प्रथम 11 मीटर गहराई तक 16576 घनमीटर सा० मिट्टी का खनन प्रस्तावित है, जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रु० 14/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन रु० 2,32,064/- एवं शेष 1.20 मीटर गहराई तक 19892 घनमीटर साधारण बालू का खनन किया जायेगा जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रु० 33/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी रु० 6,56,430/- होती है। इस प्रकार कुल धनराशि रु० 8,88,500/- का भुगतान कर दिया गया है। एतद्वारा नीचे उल्लिखित जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 04/03/2014 द्वारा 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्रम सं०	तहसील	प्लॉट संख्या	बेसमेन्ट ऐरिया का विवरण
1.	दादरी	प्लॉट सं०-जी०एच०-एफ-जे०पी० ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी एस०डी०-7 सैक्टर-25 यमुना एक्सप्रेसवे इन्डस्ट्रियल ऐरिया ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लॉट का बेसमेन्ट ऐरिया 16576 वर्गमीटर है जिसकी कुल गहराई 2.20 मीटर है।

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक 04/03/2014 से 03/10/2014 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम-11 पर ही किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक ही मान्य होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. एमएम-11 की बुको को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपण एवं अवशेष एमएम-11 कार्यालय में जमा करायेगें तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
8. बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बैरिकेडिंग आदि लगाकर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों का हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
10. यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाना है तो पर्यावरण निदेशालय, उ०प० के पत्र संख्या 2557/पर्या०/एस०ई०एस०सी०/साधारण मिट्टी खनन/2012 में दिये गये बिन्दु संख्या-5 में दिये गये Safeguards को कड़ाई से अपनाया जाना होगा।
11. अनुमतिधारक द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटरी रिकग्नाइज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संरक्षित या किसी अन्य नामों (डिजिनेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. खनन निरीक्षक द्वारा स्थापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये खन्ना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस नू-खन्ना हेतु अनुमति दी जा रही है, उस नू-खन्ना के निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये खन्ना का प्रयोग किसी और जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अविलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वालों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित टास्क फोर्स उक्त स्थल पर खनन की जा रही खनिज (Mineral) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा का अंकन भी करेगी अर्थात् टास्क फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई की जाँच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये क्षेत्रफल एवं गहराई की मात्रा से ज्यादा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो सम्बन्धित अवैध खनन करने वाले अनुमति धारक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेगी; तथा उक्त को अवैध खनन मानते हुए उक्त खनिज को सीज करते हुए निरीक्षण करवाया जायेगा।



14. शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों के अधीन जिन आवेदन कर्ताओं को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी शत प्रतिशत रायल्टी जमा करके नियमानुसार उक्त बेसमेन्ट की खनिज की निकासी करेगा इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का दबाव या धन उगाही या गुंडा टैक्स जैसी अवैध वसूली की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा खनन अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा उक्त सूचना या स्वयं द्वारा किये जा रहे निरंतर निरीक्षण के आधार पर खनन अधिकारी द्वारा अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। अगर खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा स्वयं या प्रभारी अधिकारी खनन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी उक्त प्राथमिकी दर्ज कर उसपर अविलम्ब आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष की होगी।
15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड से निकाली गयी खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उनका विवरण सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में मेन्टेन किया जायेगा जिसका निरीक्षण समय समय पर टास्क फोर्स एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या 904/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा योजित किये जाने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापित करायेगा तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योजित नहीं करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा योजित कोई कर्मचारी कोई त्रुटि या शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी का कृत्य ठेकेदार का कृत्य समझा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर उनके विरुद्ध नियमानुसार उक्त शर्तों का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

2.7.14

खान निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय

जिलाधिकारी

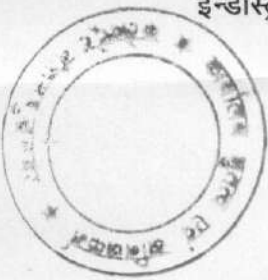
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: 1881 / खनन लिपिक/2014

दिनांक 05/7/14

प्रतिलिपि:

- 1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
- 2 प्रभारी अधिकारी खनिज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- 3 उप जिलाधिकारी दादरी/क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक- 904/ए0टी0/दिनांक-25.03.2014 द्वारा गठित टास्क फोर्स के साथ निरीक्षण कर शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 4 खान निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अन्तराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 5 थानाध्यक्ष थाना, गौतमबुद्धनगर।
- 6 मैसर्स प्रेसीडेन्सी इन्फ्राहाइट्स प्रा0लि0 पता-2201 द्वितीय फ्लोर एक्सप्रेसवे टेड टावर-02(ई0टी0टी0-2) सैक्टर-132 नोएडा द्वारा प्लॉट सं0-जी0एच0-एफ-जे0पी0 ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी एस0डी0-7 सैक्टर-25 यमुना एक्सप्रेसवे इन्डस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।



1
खान निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 बी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

संदर्भ संख्या...सी-1/एन/एन0ओ0सी0-1026/2014

दिनांक...25-3-14

सेवा में,

मै0 "प्रेसीडेन्सी इन्फ्राहाईट्स प्रा0लि0"

प्लॉट नं0 - जीएच-एफ-जे0पी0 ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी,

एसडीजेड, सेक्टर-25, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र,

गौतमबुद्ध नगर।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल:- प्लॉट नं0- जीएच-एफ-जे0पी0 ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी, एसडीजेड, सेक्टर-25, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर

(ख) उत्पादन:-प्रस्तावित 20235.30 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 81734.105 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण।

ग) मुख्य कच्चे माल:-बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:- 257 के0एल0डी0

(ङ.) प्रयुक्त ईंधन:- 500 के0वी0ए0 के 02 डी0जी0 सेट में डीजल हेतु।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई

be

ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

- 4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
- 5- मै0 प्रेसीडेन्सी इन्फ्राहाईट्स प्रा0लि0 द्वारा जीएच-एफ-जे0पी0 ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी, एसडीजेड, सेक्टर-25, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, गौतमबुद्धनगर द्वारा 20235.30 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 81734.105 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 6- संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 257 के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 310 के0एल0डी0 क्षमता का एम0बी0बी0आर0 तकनीक पर आधारित एस0टी0पी0 स्थापित किया जायेगा।
- 7- संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
- 8- सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
- 9- म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।
- 10- समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।
- 11- संस्था प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
- 12- संस्था नियमानुसार कम से कम 33 प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।
- 13- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
- 14- संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त किया जाये।
- 15- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पाँच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
- 16- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।
- 17- उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नहीं डाला जायेगा।

(3)

प्रेसीडेन्सी इन्फ्राहाईट्स प्रा0लि0 द्वारा जीएच-एफ-जे0पी0 ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी, एसडीजेड, सेक्टर-25, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, गौतमबुद्धनगर

17- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक-एफ-38972/सी-1/एन/एन0ओ0सी0-1026/2014, दिनांक 6.3.14 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.7.14 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय


सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं०.

एन0ओ0सी0

तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-1

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



No. AAI/NOC/2014/217 /6311-15

Date: 1/7/2014

Presidency Infraheights Pvt Ltd

2201, IInd Floor,
Express Trade Tower,
Sec-132, Noida-201302

NO Objection Certificate for Height Clearance

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order SO84 (E) dated 14th Jan. 2010 for Safe and Regular Aircraft Operations.

1. References:

NOCID	SAFD/NORTH/B/060314/40196
Applicant Letter	No. 0066/2014 dated 05.06.2014
AAI Reference	

2. NOC Details for Height Clearance:

Applicant Name	Presidency Infraheights Pvt Ltd
Type of Structure	Building
Site Address	Gh-F, Jaypee Greens, Sports City, Sec-25. YEIDA Area
Site Coordinates	28 20 52N -77 31 19E
Site Elevation AMSL in Mtrs	190 Mtrs One Hundred Ninety only
Permissible height above Ground Level in Mtrs	140.00 Mtrs One Hundred Forty Only
Permissible Top Elevation AMSL in Mtrs	330.00 Mtrs Three Hundred Thirty only

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

- The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If, however, at any stage it is established that the actual data is different from the one, provided by the applicant, this NOC will be invalid.
- The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by buildings and trees etc.) Rules, 1994.
- No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the **Permissible Top Elevation 330.00 Mtrs**, indicated in para 2.
- The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
- The certificate is valid for a period of 5 years from the date of its issue. If the

<http://172.16.2.83:83/nocas/NOCLetterForBuilding2.aspx?nocID=SAFD/NORTH/B/06031...> 7/1/2014

क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र, प्रचालन कार्यालय, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110037 दूरभाष : 25652447 फ़ैक्स : 25656451

Regional Headquarters, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037 Tele.: 25652447 Fax : 25656451

“हिन्दी पत्रों का स्वागत है।”